

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड)
अधिसूचना
सं. 16 /2018- सीमा शुल्क (गै. टे.)

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2018

का. आ. (अ) - सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उपधारा (1) और धारा 5 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड, एतद्वारा, कारण बताओ नोटिस में निर्णय करने के उद्देश्य से, नीचे दी गयी सारणी के कालम (3) में उल्लिखित कारण बताओ नोटिस के बारे में उक्त सारणी के कालम (4) में उल्लिखित अधिकारी को दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने और उनको सोंपें गए कर्तव्यों को पूरा करने के उद्देश्य से उक्त सारणी के कालम (5) में उल्लिखित अधिकारियों कि नियुक्ति करता है:-

सारणी

क्रं संख्या	नोटिस प्राप्त करने वाले का नाम और पता	कारण बताओ नोटिस की संख्या और तारीख	के प्रति उत्तरदायी	नियुक्त अधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मेसर्स नवशक्ति इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड, 980-81/4, प्रथम तल, मक्की मार्केट, चावडी बाजार, दिल्ली- 06	फ़ाइल संख्या- VIII/10/ICD/TKD/प्रिवेंटिव/2/97 दिनांक 23.07.2002	आयुक्त, सीमाशुल्क, आईसीडी तुगलकाबाद, नई दिल्ली	प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमाशुल्क, (आईसीडी- आयात), तुगलकाबाद, नई दिल्ली

[फा.सं. 437/ 13/2017- सीमा शुल्क IV]

(जेड.आर. कामिली)

निदेशक (सीमा शुल्क)